रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-01072021-228069
CG-DL-E-01072021-228069

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2471] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, जुलाई 1, 2021/आषाढ़ 10, 1943
No. 2471] NEW DELHI, THURSDAY, JULY 1, 2021/ASHADHA 10, 1943

वित्त मंत्रालय

(वित्तीय सेवाएँ विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 1 जुलाई, 2021

का.आ. 2668(अ).—भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (वित्तीय सेवाएँ विभाग) की 18 अप्रैल, 2016 के का.आ.1443(अ) के माध्यम से प्रकाशित अधिसूचना में आंशिक संशोधन करते हुए, केन्द्रीय सरकार, एतदृद्वारा, सूक्ष्म इकाइयों के लिए क्रेडिट गारंटी निधि (सीजीएफ़एमयू) (जिसे इसके पश्चात उक्त योजना के रूप में संदर्भित किया जाएगा) के रूप में जानी जाने वाली योजना में निम्नलिखित संशोधन करती है, नामत: :-

1. उक्त योजना में, पैराग्राफ 2 में, --

(क) उप-पैराग्राफ (xi) में, कोष्ठक और शब्द "(मुद्रा द्वारा यथा निर्धारित ब्याज दरें; वर्तमान में 12% प्रति वर्ष से अनधिक)" का लोप किया जाएगा;

(ख) उप-पैराग्राफ (xii) को निम्नलिखित उप-पैराग्राफ से प्रतिस्थापित किया जाएगा, नामत: --

xii. "पात्र उधारकर्ता" से पीएमएमवाई के तहत आने वाली अथवा एमएसएमईडी अधिनियम, 2006 (समय-समय पर यथा संशोधित) में यथा परिभाषित नया अथवा मौजूदा सूक्ष्म इकाई/उद्यम अभिप्रेत होगा, जो निधि द्वारा निर्धारित पात्रता मानदण्डों को पूरा करता हो तथा जिसकी ऋण आवश्यकता पीएमएमवाई के अंतर्गत विनिर्दिष्ट सीमा से अधिक न हो। ऋण की विनिर्दिष्ट सीमा 10 लाख रुपए अथवा कोई अन्य ऐसी राशि होगी जो निधि द्वारा समय-समय पर निर्धारित की जाएगी। इसके अतिरिक्त, पीएमजेडीवाई खातों के तहत स्वीकृत 10,000 रुपए की ओवरड्राफ्ट ऋण राशि भी क्रेडिट गारंटी निधि के अंतर्गत कवर किए जाने हेतु पात्र होगी। पात्र उधारकर्ताओं से वैसे स्वयं सहायता समूह भी अभिप्रेत

होंगे जो निधि द्वारा निर्धारित पात्रता मानदण्डों को पूरा करते हों तथा जिनकी ऋण राशि 10 लाख रुपए से ऊपर तथा 20 लाख रुपए तक हो।

2. उक्त योजना में, अनुलग्नक की टिप्पणी में "एमएलआई द्वारा क्रेडिट प्रबंधन" शब्दों और पदों के बाद निम्नलिखित शब्दों को अंतर्विष्ट किया जाएगा, नामत: --

"तथापि, यह पे-आऊट सीमा (कैप) एसएचजी पोर्टफोलियो पर लागू नहीं होगी।"

3. उक्त योजना की अन्य सभी निबंधन और शर्तें पूर्ववत रहेंगी।

[फा.सं. 21/1/2020/आईएफ-II]

ललित कुमार, आर्थिक सलाहकार

नोट : मूल योजना 18 अप्रैल, 2016 के का.आ.1443(अ) के माध्यम से भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II खंड 3, उप-खंड (ii) में प्रकाशित हुई थी और तदनंतर उक्त को 16 अप्रैल, 2020 के का.आ.1261(अ) की अधिसूचना के माध्यम से संशोधित किया गया था।

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Financial Services)

NOTIFICATION

New Delhi, the 1st July, 2021

S.O. 2668(E).—In partial modification to the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Financial Services), number S.O. 1443(E), dated the 18th April, 2016, the Central Government hereby makes the following amendments to the Scheme known as the Credit Guarantee Fund for Micro Units (CGFMU) (hereinafter referred to as the said Scheme), namely:—

1. In the said Scheme, in paragraph 2,—

(a) in sub-paragraph (xi), the brackets and words "(Interest rate as stipulated by Mudra; presently not to exceed 12% p.a.)" shall be omitted;

(b) for sub-paragraph (xii), the following sub-paragraph shall be substituted, namely:—

'xii. "Eligible borrower" means new or existing micro unit / enterprise falling under any sector covered under PMMY or as defined in the MSMED Act, 2006 (as amended from time to time), who meets eligibility criteria prescribed by the Fund and whose credit requirement does not exceed the specified limit under PMMY. Specified limit of the loan shall be Rs.10 lakh or such other amount as may be decided by the Fund from time to time. Further, Overdraft loan amount of Rs.10,000/- sanctioned under PMJDY accounts shall also be eligible to be covered under Credit guarantee Fund. Eligible borrower would also mean Self Help Groups who meet eligibility criteria prescribed by the Fund and whose loan amount is above Rs.10 lakh and upto Rs.20 lakh.'.

2. In the said Scheme, in the notes to the attachment, after the words and letters "credit management by MLIs", the following words shall be inserted, namely:—

"This payout cap shall, however, not be applicable on the SHG portfolio."

3. All other terms and conditions of the said Scheme shall remain unchanged.

[F. No. 21/1/2020/IF-II]

LALIT KUMAR, Economic Adviser

Note: The principal Scheme was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii) *vide* number S.O. 1443(E), dated the 18th April, 2016 and subsequently amended *vide* notification number S.O. 1261(E), dated the 16th April, 2020.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. ALOK KUMAR Digitally signed by ALOK KUMAR Date: 2021.07.01 22:32:45 +05'30'